न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं.111/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही		श्री लकमाराम पुत्र देवाराम 1/2 हुआदेवी पत्नि लकमाराम 1/2 जाति रेबारी निवासी पाडीव तहसील व जि. सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार,सिरोही)
2– अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान वकील श्री प्रकाश प्रजापत एवं वकील श्री महेन्द्र चौहान

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत

निर्णय दिनांक 29–1–2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार,सिरोही ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्त.अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण बाबत कृषि भूमि को रूपान्तकरण करवाये बिना अकृषि उपयोग करने का इस न्यायालय मे दिनांक 5–6–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा पाडीव के जमाबंदी संवत2070–2073 के खाता नंबर 1014 खसरा नंबर 3554/2678 रकबा 0.4900 हेक्टेयर किस्म कातरा अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि आई हुईहै। उक्त खसरा नंबर नंबर 3554/2678 कुल रकबा 0.4900 हेक्टेयर सम्पूर्ण भूमि पर प्लोटिंग के पत्थर लगाकर उक्त भूमि का गैर कृषि उपयोग हो रहा है। मौके पर प्लान अनुसार तैयार रास्तों पर मलबा (कंकर पत्थर)डालकर ग्रेवल सडक तैयार की जा रही है। जमाबंदी,नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द दिनांक 5–6–2017 मूल संलग्न है। अप्रार्थीगणों द्वारा मौजा पाडीव के खसरा नंबर 3554/2678 कुल रकबा 0.4900 हेक्टेयर भूमि को बिना रूपान्तकरण करवाये प्लाटींग की नियत से पत्थर लगा रखे है तथा चारो ओर तारबंदी करके,प्लाटिंग के पत्थर लगाकर उक्त भूमि का गैर कृषि उपयोग हो रहा है। मौके पर प्लान अनुसार तैयार रास्तों पर मलबा (कंकर पत्थर) डालकर ग्रेवल सडक तैयार की जा रही है। इस प्रकार अप्रार्थीगणों ने कृषि भूमि को रूपान्तकरण करवाये बिना अकृषि उपयोग कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघर किया हैं अतः उक्त आराजी सरकार के खाते मे दर्ज करने के आदेश प्रसारित करना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता नंबर 1014 खसरा नंबर 3554/2678 रकबा 0.4900 हेक्टेयर किस्म कातरा पटवारी हल्का पाडीव की मौका फर्द दिनांक 5–6–2012,नक्शा किस्तवार,का अवलोकर कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दि 5–6–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 4–7–2017 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये तथा अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री प्रकाश प्रजापत ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया ।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 12–1–2018 को वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के माध्यम से यह कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कथन सही होने से स्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है एवं जवाब मे निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त खसरा नंबर 3554/2678 की भूमि पर तारबंदी व पत्थर गडाई अक्श्य की गई थी परन्तु अप्रार्थीगण ने अपने काश्त की सुरक्षा व अन्य लोगो द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण नही करें इस युक्तियुक्त कारण से ही अप्रार्थीगण ने अपने खातेदारी भूमि पर तारबंदी की थी,अप्रार्थीगण ने उकत भूमि पर कोई प्लोटिंग नही की आज भी मौके पर काश्त हेतू पडत भूमि है ,जिस पर अप्रार्थीगण आज भी निरन्तर बरसाती काश्त की जाती आ रही है,प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व गलत कार्यवाही की गई है जबकि अप्रार्थीगण गरीब खेतीहर व्यक्तिगण है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे वर्णित कथन पूर्णतया गललत ढंग से प्रस्तुत किये जाने से अस्वीकार है एवं जवाब मे निवेदन है कि अप्रार्थीगण ने अपने खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर कभी गैर कृषि उपयोग नही किया है ,वरन अप्रार्थीगण ने अपनी काश्त की सुरक्षा हेतू तारबंदी की थी एवं उक्त खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतू व कृषि संसाधन लाने ले जाने के लिये स्वंय के खर्चे पर रास्ते मे मिटटी वगैरहा डालकर तैयार किया था ,अप्रार्थीगण उकत खातेदारी भूमि पर लगातार काश्त करते आ रहे है एवं मौके पर उक्त भूमि काश्त हेतू ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर प्लोटिंग कर गैर कृषि उपयोग उपभोग किये जाने का कथन स्वतः मिथ्या साबित है। तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 ता 6 मे वर्णित कथन कूननी होने से इस न्यायालय के गौरतलब बताया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के विशेष कथन के माध्यम से भी यह निवेदन किया कि अप्रार्थीगण खातेदारी कब्जा काश्त खसरा नंबर 3554/2678 की भूमि पर आज दिन तक काश्त ही की जा रही है,अप्रार्थीगण ने फसल व भूमि की सुरक्षा हेतू तारबंदी व पत्थर गडाई की थी,अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर कभी भी गैरकृषि उपयोग उपभोग नही किया जा रहा है। अप्रार्थीगण का विकल्प मे निवेदन है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि की मौका रिर्पोट मंगाकर उक्त भूमि के वर्तमान उपयोग का माननीय न्यायालय मे मुलायजा फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के न्यायहित मे है एवं प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णयन हेतु अति आक्श्यक है। अतः अप्रार्थीगण का पुनः निवेदन है कि अप्रार्थीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र मय खर्चे खारिज करना फरमावें ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दि 16–1–2018 को विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्त.अधि. 1955 पर प्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार,सिरोही) तथा अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री प्रकाश प्रजापत की अंतिम बहस रखी गई । जिस पर पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार,सिरोही) एवं वकील अप्रार्थीगण ने न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

प्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मौजा पाडीव के जमाबंदी संवत2070–2073 के खाता नंबर 1014 खसरा नंबर 3554/2678 रकबा 0.4900 हेक्टेयर किस्म कातरा अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि आई हुईहै। उक्त खसरा नंबर नंबर 3554/2678 कुल रकबा 0.4900 हेक्टेयर सम्पूर्ण भूमि पर प्लोटिंग के पत्थर लगाकर उक्त भूमि का गैर कृषि उपयोग हो रहा है। मौके पर प्लान अनुसार तैयार रास्तों पर मलबा (कंकर पत्थर)डालकर ग्रेवल सडक तैयार की जा रही है। जमाबंदी,नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द दिनांक 5–6–2017 मूल संलग्न है। अप्रार्थीगणों द्वारा मौजा पाडीव के खसरा नंबर 3554/2678 कुल रकबा 0.4900 हेक्टेयर भूमि को बिना रूपान्तकरण करवाये प्लाटींग की नियत से पत्थर लगा रखे है तथा चारो ओर तारबंदी करके,प्लाटिंग के पत्थर लगाकर उक्त भूमि का गैर कृषि उपयोग हो रहा है। मौके पर प्लान अनुसार तैयार रास्तों पर मलबा (कंकर पत्थर) डालकर ग्रेवल सडक तैयार की जा रही है। इस प्रकार अप्रार्थीगणों ने कृषि भूमि को रूपान्तकरण करवाये बिना अकृषि उपयोग कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघर किया हैं अतः उक्त आराजी सरकार के खाते मे दर्ज करने के आदेश प्रसारित करना फरमावें ।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अपने खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर कभी गैर कृषि उपयोग नही किया है,वरन अप्रार्थीगण ने अपनी काश्त की सुरक्षा हेतू तारबंदी की थी एवं उक्त खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतू व कृषि संसाधन लाने ले जाने के लिये स्वंय के खर्चे पर रास्ते मे मिटटी वगैरहा डालकर तैयार किया था ,अप्रार्थीगण उकत खातेदारी भूमि पर लगातार काश्त करते आ रहे है एवं मौके पर उक्त भूमि काश्त हेतू ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर प्लोटिंग कर गैर कृषि उपयोग उपभोग किये जाने का कथन स्वतः मिथ्या साबित है। अप्रार्थीगण खातेदारी कब्जा काश्त खसरा नंबर 3554/2678 की भूमि पर आज दिन तक काश्त ही की जा रही है तथा,अप्रार्थीगण ने फसल व भूमि की सुरक्षा हेतू तारबंदी व पत्थर गडाई की थी,अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर कभी भी गैरकृषि उपयोग उपभोग नही किया जा रहा है तथा अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि की मौका रिर्पोट मंगाकर उक्त भूमि के वर्तमान उपयोग का माननीय न्यायालय मे मुलायजा फरमाया जावें । अप्रार्थीगण गरीब व खेतीहर व्यक्ति है। जिनके परिवार के जीवनयापन का एक मात्र साधन कृषि कार्य जो उक्त खातेदारी कृषि पर आधारित है। यदि अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि बिना कारण के सरकार के खाते मे चली गई तो अप्रार्थीगण खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेंगे तथा अप्रार्थीगण के परिवार को पालना मुश्किल हो

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

जायेगा । अतः वकील अप्रार्थीगण का पुनः करबद्व निवेदन है कि कृपया कर उक्त सभी कारणों से अप्रार्थीगण का उक्त जवाब को स्वीकार फरमाकर प्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण खारिज करवाना फरमावें ।

हमने प्राथी के उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न जमाबंदी/नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द दि 5–6–2017/वकील अप्रार्थीगण का जवाब ईत्यादि सम्पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययनन कर उस पर मनन किया । प्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार तथा वकील अप्रार्थीगण की अंतिम बहस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि उक्त भूमि पर तारबंदी व पत्थर डालकर प्लोटिंग जरूर की है लेकिन मौके पर वर्तमान मे निवास योग्य स्थिति नही है और न ही अप्रार्थीगण ने निवास हेतु आवश्यक सुविधाऐ सुविधाऐं दी है। अप्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे काश्त योग्य है तथा अप्रार्थीगण काश्त करने के काम मे ले रहे है। उक्त भूमि पर काश्त व फसल की सुरक्षा व अन्य व्यक्ति जबरदस्ती अतिक्रमण नही करे इस हेतु अप्रार्थीगण ने तारबंदी की है। पटवारी हल्का पाडीव ने मौका फर्द मे यह बताया कि 6 प्लोट बुकींग भी की जा रही है तथा मौके पर प्लान अनुसार रास्तो पर मलबा (कंकर पत्थर) डालकर ग्रेवल सडक तैयार करना बताया है लेकिन मौका फर्द मे अंकित उक्त तथ्यों की सत्यता की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य या फोटोग्राफस के अभाव मे नही हो रही है। उपरोक्तानुसार विचारण प्रकरण मे प्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट मे अप्रार्थीगण द्वारा उनकी उक्त खातेदारी कृषि भूमि का कृषि से अकृषि का उपयोग उपभोग करने का सिद्व करने मे असफल रहे है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण बाबत खातेदारी कृषि भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग उपभोग करने का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार(खारिज) किया जाता है। साथ ही न्यायालय का मत है कि अप्रार्थीगण गरीब काश्तकार है जिनके परिवार का भरणपोषण ही उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर काश्त पर निर्भर है ऐसी स्थिति मे प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के आधार पर राज्य सरकार को भी राजस्व हानि नही हो इसको मध्यनजर रखते हुये अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि का सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय से नियमानुसार भूमि संपरिर्वतन कराने के बाद ही कृषि से अकृषि का उपयोग उपभोग करें अन्यथा अप्रार्थीगण के उक्तानुसार गैरकानूनी कृत्य की पुनरावृति होने की स्थिति पैदा होने का मामला प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व विधिसम्मत कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

29/1/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 29–1–2018 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

29/1/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही